केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,
श्रीगंगानगर रोड,बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

क्रमांकः-3(44)BK/2002/Vol.I/

दिनांकः- 04.02.2014

निविदा प्रपत्र

1- निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	: दिनांक 27.02.2014 दोपहर 1.00 बजे
2- निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय	: दिनांक 27.02.2014 दोपहर बाद 3.00 बजे से
3- अरनेस्ट राशि	: रू 3,000(रूपये तीन हजार मात्र)
4- निविदा की मान्य अवधि	: 120 दिन
5- निविदा शुल्क	: रू.500/-

किसानघर व ट्रेनिंग हॉस्टल के लिये कार्य नियम एवं शर्तें:-

1. कार्य की अवधि वर्ष 2014-15 में दिनांक 1.4.14से 31.3.15 तक होगी। जिसे आवश्यकतानुसार बढाया/घटाया जा सकता है।

2. संस्थान परिसर में सरकारी कार्य या अन्य कार्य से आने वाले अतिथियों को किसान घर/अतिथिगृह व ट्रेनिंग हॉस्टल में रूकने और खाने की व्यवस्था करना। चाय, कॉफी, नाश्ता, दोपहर तथा रात्रि का भोजन इत्यादि उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये जिसकी दरें निम्न प्रकार होंगी। यह ठेकेदार स्वयं के खर्च पर उपलब्ध करायेगा।

अ. चाय	रू.10/- प्रति कप 100 ml
ब. कॉफी	रू.15/- प्रति कप 100 ml
स. दूध	रू.15/- प्रति गिलास 200ml
द.नाश्ता	रू.40/- (जिसमें दो परांठे एक गिलास दूध 200 ml या एक प्लेट दही, अचार/सॉस/चटनी)
य.भोजन	रू.60/- प्रति थाली (जिसमें चार रोटी, चावल, दाल, दो सब्जी, दही,सलाद, अचार, पापड़)

3. किसानघर व ट्रेनिंग हॉस्टल के इस्तेमाल होने वाले चादर, तकिये के गिलाफ, तौलिये परदे इत्यादि कि सफाई संस्थान द्वारा करवाई जाएगी। परन्तु इनकी व्यवस्था ठेकेदार को करवानी होगी।

4. किसानघर व ट्रेनिंग हॉस्टल की साफ-सफाई, फूल पौधे लगाना और उनकी सदैव देख-भाल करना।

5. किसानघर व ट्रेनिंग हॉस्टल के अन्दर सभी सामान की साफ सफाई, झाडू पोछा सहित की व्यवस्था ठेकेदार को करवानी होगी।

6. किसानघर व ट्रेनिंग हॉस्टल के रिकार्ड को प्रभारी किसान घर के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण करना और अतिथियों से प्राप्त राशि को कार्यालय में समय से जमा कराना।

7. प्रभारी किसान घर/प्रभागाध्यक्ष द्वारा बताये गये अन्य कार्य करना।

8. दर प्रति माह के आधार पर देनी होगी। कार्य का भुगतान प्रतिमाह बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर 30 दिन के भीतर नियमानुसार कर दिया जायेगा। बिल पर आयकर विभाग से आवंटित पेन संख्या अंकित की जानी आवश्यक है। ई-भुगतान के लिए बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य है।

9. संस्थान परिसर में समय-समय पर होने वाले समारोह, बैठकों को बाहर से विशिष्ट व्यक्तियों / अधिकारियों के आगमन पर चाय, पानी एवं भोजन की व्यवस्था करनी होगी।

10. अनुबन्ध की अवधि में स्वयं अनुबंध कर्ता/ उसके प्रतिनिधि द्वारा संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा तथा संस्थान की सम्पति को नुकसान से बचाना होगा। कार्य के दौरान यदि ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा संस्थान की संपति को नुकसान पहुँचाया जाता है उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से की जायेगी।

11. निविदा के साथ रूपये 3000/- अरनेस्ट राशि बतौर डिमाण्ड ड्राफ्ट CSWRI UNIT ARC, Bikaner के पक्ष में तथा पंजाब नेशनल बैंक बीछवाल शाखा, बीकानेर में भुगतान योग्य हो, निर्धारित तिथि एवं समय तक क्रय एवं भण्डार अनुभाग में रखे टेण्डर बॉक्स में डालना होगा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। यदि निविदा प्रपत्र बेवसाइट से लिया जाता है तो निविदा प्रपत्र का शुल्क रू.500/- का अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

13. सफल निविदादाता को कुल लागत की 10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में जमा कराना होगा, उसके बाद ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। यह राशि अनुबन्ध की अवधि सन्तोषजनक पूरी होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी, यदि अनुबन्धकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसकी जमा जमानत राशि को जब्त करते हुये अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जायेगा।

14. निविदादाता को भुगतान से सम्बन्धित श्रमिक कानूनों का पूर्णतया पालन करना होगा। उनके द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। भुगतान से सम्बन्धित कोई भी विवाद होने/क्लेम प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि का पूर्ण भुगतान स्वयं अनुबन्धकर्ता/ ठेकेदार को करना होगा।

15. संस्थान को बिना कोई कारण बताये प्राप्त किसी एक या सभी दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

4/2/14

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मुझे मंजूर हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है। अतिथि गृह/किसानघर व ट्रेनिंग हॉस्टल की देखभाल आदि कार्यों के लिए मेरी दर रूपये................. प्रति माह होगी।

हस्ताक्षर....................................

नाम :___________________